BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।

केन्द्र व राज्यों के बीच तनाव

भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था में संविधान लिखित होता है। जिसमें केन्द्र व राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट वितरण होता है ताकि दोनों के बीच तनाव अथवा टकराहट की स्थिति पैदा न हो। तनाव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए अनेक तरह की व्यवस्थाएँ हैं। तनाव के कारण ही वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश का स्वतंत्र राज्य बन गया। केन्द्र व राज्यों के बीच तनाव के निम्नलिखित कारणों को निम्न प्रकार उल्लेख किया जा सकता है :–

1. **संवैधानिक प्रावधानों में अस्पष्ट क्षेत्र** – लिखित संविधान होने के बाबजूद भी संविधान के प्रावधानों में कहीं न कहीं अस्पष्टता होती है। अस्पष्टता होने के कारण दोनों अपने–अपने क्षेत्र का दावा करते हैं, जिसके कारण समय–समय पर दोनों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। उदाहरणार्थ – भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 1 में भारत व उसके प्रदेशों का वर्णन है, जिसके अन्तर्गत सभी राज्य, सभी संघ शासित क्षेत्र तथा कोई अन्य प्रदेश जो प्राप्त किया जाय। इसके अन्तर्गत हमने फ्रांस के अधीन 5 नगरों तथा पुर्तगाल के अधीन तीन नगरों को प्राप्त किया। अनुच्छेद –2 में लिखा है कि केन्द्र किसी विदेशी क्षेत्र को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है। इसके तहत सिक्किम का एकीकरण हुआं। वर्ष 1959 में पश्चिम बंगाल के बेरूवाड़ी के कारण, केन्द्र व पश्चिम बंगाल के बीच विवाद हुआ था।
2. **राज्यपाल का पद** – राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में दिया गया है कि राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद् के परामर्शानुसार काम करेगा साथ ही यह भी उल्लेखित है

कि जहॉ वह उपयुक्त अथवा आवश्यक समझे, अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। केन्द्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, उसी पार्टी की अथवा उसके घटक दलों की सरकार राज्य में होने पर कोई तनाव अथवा परेशनी नहीं होती है लेकिन विपक्षी पार्टी की सरकार राज्य में होने पर दोनों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो राज्यपाल की स्थिति संकट पैदा करती है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श को नहीं मानता, यहॉ तक कि वह विधानमण्डल के पास किए बिल को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है। इसलिए विपक्षी दल राज्यपाल को केन्द्र का दूत कहते हैं।

3. **वित्तीय अभाव** – राज्यों की वित्तीय स्थिति सबल नहीं होती है, वे केन्द्र की कृपा पर निर्भर रहते हैं। वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का सूत्र निर्धारित करता है, परन्तु केन्द्रीय सरकार उनके क्रियान्वयन में अनिवार्य संशोधन कर सकती है। केन्द्र द्वारा राज्यों के विशेष अनुदान में वित्तीय पक्षपात किया जाता है। ऐसा प्रायः विपक्षी पार्टी की सरकार, राज्य में होने पर देखा जाता है।
4. **दलगत राजनीति** – भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। जब केन्द्र पर किसी एक पार्टी का आधिपत्य हो जाता है और राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकारें बनती है तो दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है।
5. **राज्य में आपातकाल** – अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में "संवैधानिक तंत्र की विफलता" की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसा वहॉ के राज्यपाल की सिफारिश पर भी किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा होते ही राज्य सरकार भंग हो जाती है और शासन व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के हाथों में चली जाती है। यहॉ विवाद का विषय है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ या नहीं।
6. **आर्थिक आयोजन के संबंध में मतभेद** – योजना आयोग(नीति आयोग) की भूमिका को लेकर भी केन्द्र और राज्यों के बीच विवादों में वृद्वि हुई है। विभिन्न राज्यों की यह शिकायत रहती है कि योजना आयोग ने उनकी शक्तियों को अघात पहुॅचाया है।
7. **अन्तर्राज्यीय व्यापार** – संविधान के अनुसार, अन्तर्राज्यीय व्यापार के नियमन की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय और राज्य हितों या राज्य के

विशेष हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करती है। इस केन्द्रीय हस्तक्षेप से कुछ राज्य नाराज होते हैं जिससे केन्द्र–राज्य के बीच मतभेद उभरते हैं और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है।